

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13102025-266892
SG-DL-E-13102025-266892असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 308]
No. 308]दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947
DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 279
[N. C. T. D. No. 279भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली 10 अक्टूबर, 2025

फा.सं. 6/39/2023-न्यायिक/अधि0विधि/1899-1903-गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 2 सितंबर, 2024 की एस.ओ. संख्या 3753 (ई) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 45घ की उप-धारा (क) के साथ पठित दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 3 तथा विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथा संशोधित, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद् द्वारा माननीय श्री न्यायमूर्ति वल्लूरी कामेश्वर राव, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 10th October, 2025

F. No. 6/39/2023-Judl./Suptlaw/1899-1903.—In exercise of powers conferred by sub-section 2(b) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987, as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002 and Rule 3 of the Delhi Legal Services Authority Rules, 1996 read with sub-section (a) of Section 45D of Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and S.O. No.3753 (E) dated 2nd September, 2024 issued by Ministry of Home Affairs, Govt. of India, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi is pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Valluri Kameswar Rao, Judge, High Court of Delhi as Executive Chairman of Delhi State Legal Services Authority.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
REETESH SINGH, Principal Secy.